"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-1-19/2005/42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा अन्य संवर्ग में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** —(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (अन्य संवर्ग)" सेवा भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे ।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के नियम 6 (1) एवं नियम 11 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन एक्ट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन;

(ङ.) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, अनूसूची चार में उल्लेखित चयन समिति;

(त) "सेवा" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (अन्य संवर्ग)". सेवा;

(थ) "राज्य " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य; ।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति**:– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के सदस्य पर लागू होंगें ।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगें, अर्थातः–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूलरूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों को प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी;

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका**–(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन करके सीधी भर्ती द्वारा

(ख) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (अन्य संवर्ग) की अनुसूची–चार के कॉलम (2)में विनिर्दिष्ट सेवा में पहले से ही नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट ऐसे पद मूल रूप से धारण करते हों ।

(2) उपनियम–1 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती–संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें ।

(4) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा इन तरीकों द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

(5) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) नियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति**– इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियाँ सरकार करेगी और ऐसी नियुक्तियाँ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें** – परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिये पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात :–

(1) आयु:–(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो ,

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ,

(ग) उन अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उनकी उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ सेवा में रहने की अवधि के बराबर परन्तु अधिकतम तीन वर्ष की छूट निम्नलिखित सीमा तक एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) अस्थाई रूप से पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । यही छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी ।

(तीन) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु, निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

**स्पष्टीकरण** – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय के अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन
वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द –'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोज़गार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो ,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें:–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी सैनिक तथा असैनिक जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो ।

(पॉच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहें,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(ड.)छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च)उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडलों के कर्मचारी है, उच्चतर आयु–सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(छ)विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी ।

(ज)परिवार कल्याण कार्यकम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(झ)अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर सीमा 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ)'विक्रम पुरस्कार धारक' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ट)स्वयं–सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु–सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएँ** –उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो अनुसूची–तीन, अनुसूची–तीन (क) तथा अनुसूची–तीन (ख) में सेवा के लिये विहित की गई है य

परन्तु – (क) आपवादिक मामले में, सरकार की सिफारिश पर आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने/चयन के योग्य समझता हो और

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा में बैठने/चयन के लिए ऐसे उम्मीदवारों के मामलों पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपधियाँ प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो ।

(3) **फीस** –उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **अनर्हता** :–अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश/चयन के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जायेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा** :– परीक्षा में बैठने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी से साक्षात्कार नहीं की जायेगी, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी न किया हो ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** :– (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतर से ली जायेगी, जिन्हें शासन समय–समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे ।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी जिन्हें समय–समय पर आयोग से परामर्श कर प्रसारित करें ।

(3) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :– (क) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।

(ख) सेवा के लिये अभ्यार्थियों का चयन (लिखित परीक्षा और/साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा), आयोग द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा.

(ग) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाँक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे ।

(घ) इस प्रकार रक्षित रिक्त सीटों को भरते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के कम के अनुसार किया जायेगा, चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका पारेस्थिति-स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(ङ.) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उप नियम (3) के उपबंध (ग) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त सीटों पर नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(च) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रहेंगे ।

(छ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण लागू रहेगा ।

(ज) जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है , वहाँ

लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची** :– (1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किंतु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा । यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिये भी प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा ।

(3) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जॉच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) चयन सूची, आयोग द्वारा उसे जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधि मान्य रहेगी ।

13. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जावेगा ।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** :- (1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नतिं हेतु चयन करने के लिये राज्य सरकार अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित करेगी । तथापि समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम निर्देशित किये गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उक्त ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जावेगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जाएगी ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतराल में होगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार रोस्टर का पालन किया जायेगा ।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें** :- (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानान्तरण या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

> **स्पष्टीकरण** :- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और न कि वेतनमान में आने की तारीख से ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र के लिये विधिमान्य होंगे ।

16. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना**:- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों अनुसार समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम- 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो तथा जिन्हें सेवा में पदोन्नति के उपयुक्त पाया गया है ।

17. **आयोग से परामर्श** :- विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

17. **चयन सूची** :- (1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक रहेगी ,

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा ।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियॉ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेंगी ।.

(2) साधारणतः, किसी व्यक्ति, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, की सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये जो सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये वह अनुपयुक्त हो गया हो ।

(3) परिवीक्षावधि :– सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

20 **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

21 **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है,

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई भी बातें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी ।

23. **निरसन और व्यावृत्ति** :– मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990 (समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 1–163–89 बयालीस–1 दिनॉक 13 फरवरी 1991) छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में, तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त अन्य समस्त नियम एवं संकल्प इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)

| अनुक्रमॉक | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | कुल स्वीकृत पद | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणियॉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ग्रंथपाल | 19 | द्वितीय श्रेणी* | 8000–13500 (ए.आई.सी.टी.ई.) | इंजी. महाविद्यालय.–7 पद पॉलीटेकनिक–12 पद |
| 1. क | वरिष्ठ श्रेणी ग्रंथपाल | अनुकमॉक 1 में वर्णित समस्त पद | द्वितीय श्रेणी* | 10000–15200 (ए.आई.सी.टी.ई.) | वरिष्ट श्रेणी ग्रंथपाल के रूप में स्थानन के लिये अनुसूची–तीन की टिप्पण–1 में अभिकथित प्रकिया का अनुसरण किया जावेगा । |
| 1. ख | प्रवर श्रेणी ग्रंथपाल | अनुकमॉक 1 में वर्णित समस्त पद | द्वितीय श्रेणी* | 12000–18300 (ए.आई.सी.टी.ई.) | प्रवर श्रेणी ग्रंथपाल के रूप में स्थानन के लिये अनुसूची–तीन की टिप्पण–2 में अभिकथित प्रकिया का अनुसरण किया जावेगा । |
| 2. | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | 06 | द्वितीय श्रेणी* | 8000–13500 (ए.आई.सी.टी.ई.) | इंजी. महाविद्यालय.–3 पद पॉलीटेकनिक–3 पद |
| 2. क | वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | अनुकमॉक 2 में वर्णित समस्त पद | द्वितीय श्रेणी* | 10000–15200 (ए.आई.सी.टी.ई.) | वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में स्थानन के लिये अनुसूची–तीन की टिप्पण–3 में अभिकथित प्रकिया का अनुसरण किया जावेगा । |
| 2. ख | प्रवर श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | अनुकमॉक 2 में वर्णित समस्त पद | द्वितीय श्रेणी* | 12000–18300 (ए.आई.सी.टी.ई.) | प्रवर श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में स्थानन के लिये अनुसूची–तीन की टिप्पण–4 में अभिकथित प्रकिया का अनुसरण किया जावेगा । |
| 3 | प्रोग्रामर (शिक्षकीय संवर्ग) | 14 | द्वितीय श्रेणी | 8000–13500 (राज्य वेतनमान) | इंजी. महाविद्यालय.–5 पद पॉलीटेकनिक–9 पद |
| 4 | रजिस्ट्रार | 05 | द्वितीय श्रेणी | 6500–10500 (राज्य वेतनमान) | इंजी. महाविद्यालय.–3 पद पॉलीटेकनिक–2 पद |
| 5 | लेखाधिकारी | 03 | द्वितीय श्रेणी | 8000–13500 (राज्य वेतनमान | इंजी. महाविद्यालय.–3 पद |

* ग्रंथपाल एवं शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के पद पूर्व में तृतीय श्रेणी के थे, तथापि ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान स्वीकृत होने के कारण द्वितीय श्रेणी प्रस्तावित है ।

## अनुसूची–दो
(नियम 7 देखिए)

| अनु. क्रमांक | विभाग का नाम | सेवा का नाम | पदों की संख्या. | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सीधी भरती द्वारा | सेवा के मूल अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा | अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | तकनीकी शिक्षा | ग्रंथपाल | 20 | 50* | 50 | 00 | * ग्रंथपाल का पद पूर्व में तृतीय श्रेणी का था एवं इस पद हेतु 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50प्रतिशत सहायक गंथपाल से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान था । सहायक ग्रंथपाल को भडाइंग केडर देना प्रस्तावित है । वर्तमान सहायक गंथपालों की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के बाद सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाऐंगे । |
| 2 | | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | 06 | 100 | 00 | 00 | |
| 3 | | प्रोग्रामर | 14 | 100 | 00 | 00 | |
| 4 | | रजिस्ट्रार | 05 | 00 | 100 | 00 | वरिष्ठ मुख्य लिपिक/कनिष्ठ लेखा अधिकारी की पदोन्नति द्वारा |
| 5 | | लेखाधिकारी | 03 | 00 | 00 | 100 | कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा । |

## अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

| विभाग का नाम | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| तकनीकी शिक्षा | (1)ग्रंथपाल | 21 वर्ष | 35 वर्ष | (1) इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए<br>(2) पुस्तकालय विज्ञान /सूचना विज्ञान /प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उपाधि या उसके समतुल्य सी.जी.पी.ए. एवं निरंतर अच्छा अकादमिक रिकार्ड, पुस्तकालय के कम्प्युटरीकरण का अनुभव । | |
| | (2)शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | 21 वर्ष | 35 वर्ष | (1) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) अथवा खेलकूद (स्पोर्ट्स) में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित अथवा उसके समतुल्य सी.जी.पी.ए. और निरंतर अच्छा एकादमिक रिकार्ड<br>(2) अंतर विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय/महा– विद्यालय का अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड ।<br>(3) शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण ।<br>(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए | |
| | (3) प्रोग्रामर | 21 | 35 वर्ष | कम्प्युटर साईंस तथा इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या कम्प्युटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. | |

केरियर एडवांसमेंट:–केरियर एडवांसमेंट में ग्रंथपाल/शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षकों के समस्त स्थापना "इन सिटू" आधार पर होगा, जो कि किसी विशेष संवर्ग में मंजूर किये गये पदों की संख्या के अतिरिक्त होगा ।

टिप्पण:–1 ग्रंथपाल, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :–

1. ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात उसने एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों.
2. उसने कम से कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो

टिप्पण:–2 वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत ग्रंथपाल प्रवर श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड) में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि:–

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
2. उसने पी.एच.डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया हो, और
3. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात कम से कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो, और
4. उसका पिछले पॉच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो

टिप्पणः–3 शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :–

1. ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात् एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों,
2. उसने कम से कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यकम/शरदकालीन स्कूलों/ ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यकमों में भाग लिया हो, और
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो

टिप्पणः–4 शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक, जो वरिष्ठ वेतनमान कार्यरत हो, भप्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :–

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो
2. उसने पी.एच.डी. की उपाधि अभिप्राप्त की होया उसके समतुल्य शोधस कार्य प्रकाशित करवाया हो,
3. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चांत् कम से कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यकम/शरदकालीन स्कूलों/ ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यकमों में भाग लिया हो, और
4. उसका पिछले पॉच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो

टिप्पणः–5 कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रंथपाल/शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान/सिलेक्शन ग्रेड में स्थानन के लिये धारित पद, चयन समिति द्वारा उन्नत किये जावेंगे जिसक निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. सचिव तकनीकी शिक्षा | – | अध्यक्ष |
| 2. संचालक तकनीकी शिक्षा | – | सदस्य |
| 3. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो प्राचार्य | – | सदस्य |
| 4. अनु.जाति/अनु.जनजाति का प्रतिनिधि | – | सदस्य |

## अनुसूची–चार
### नियम 14–15 देखिए

| विभाग | उस पद/सेवा का नाम जिसमें पदोन्नति की जावेगी | पत्रता की कालावधि | उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| तकनीकी शिक्षा | 1. मुख्यलिपिक / कनिष्ठ लेखाधिकारी | 15 वर्ष | रजिस्ट्रार | 1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य – अध्यक्ष<br>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य<br>3. संचालक तकनीकी शिक्षा – सदस्य. |
| | 2. सहायक ग्रंथपाल | 15 वर्ष | ग्रंथपाल | 1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य – अध्यक्ष<br>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव – सदस्य<br>3. संचालक तकनीकी शिक्षा –सदस्य. |

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts, as specified in Schedule-I.

Con
Rec
Rul

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the Exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(4)Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular post or posts in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasions by the Government in consultation with the commission.

(5)At the time of recruitment the provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Rules 1994 and the directives issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service:** All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment**:- In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely;

**(1) Age:-(a)** He must have attained the age specified in Column (3) of Schedule III and must have not attained the age as specified in Column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/ Selection

अनुसूची–चार
नियम 14–15 देखिए

| विभाग | उस पद/सेवा का नाम जिसमें पदोन्नति की जावेगी | पत्रता की कालावधि | उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| तकनीकी शिक्षा | 1. मुख्यलिपिक / कनिष्ठ लेखाधिकारी | 15 वर्ष | रजिस्ट्रार | 1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य – अध्यक्ष<br>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव – सदस्य<br>3. संचालक तकनीकी शिक्षा – सदस्य. |
| | 2. सहायक ग्रंथपाल | 15 वर्ष | ग्रंथपाल | 1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य – अध्यक्ष<br>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव – सदस्य<br>3. संचालक तकनीकी शिक्षा –सदस्य. |

Raipur, the 25th August 2005

NOTIFICATION

No. F-1-19/2005/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to Recruitment to the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service, (Other Cadre) Recruitment Rules, namely :—

1. **Short Title and Commencement:** - (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Other Cadre)" Service Recruitment Rules. 2005

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in official Gazette.

2. **Definitions**:- In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under Rules-6(1) and Rule-11;

(d) "AICTE" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987);

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means the schedule appended to these rules.

(g) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification.

(j) "Selection Committee" means the selection Committee mentioned in Schedule IV;

(k) "Service" means the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Other Cadre -);

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application:-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to member of the Service.

4. **Constitution of the service:-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons recruited to the Service before commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc:-** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:- (1)** Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:

(a) By direct recruitment by competitive Examination/Selection.

(b) By promotion of the members already in the service specified in column (2) of Schedule-IV in the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Other Cadre).

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such service as specified in Schedule II

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts, as specified in Schedule-I.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1); if in the opinion of the Government the Exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(4)Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular post or posts in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasions by the Government in consultation with the commission.

(5)At the time of recruitment the provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Rules 1994 and the directives issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service:** All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment**:- In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely;

**(1) Age:-(a)** He must have attained the age specified in Column (3) of Schedule III and must have not attained the age as specified in Column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/ Selection

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5(Five) years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, a Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c). The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum period of three years or equal to the period, under the service of Chhattisgarh Government in respect of candidates who are or who have been employees of the Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant shall not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post shall not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project-Implementing Committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation**:- The term"Retrenched Government Servant" denotes a person who was in the temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation**:- The term " Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of the registration at any employment exchange or of the application made otherwise for employment in the Government service:

(i) Ex-serviceman released under mustering out concession;

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on- (a) completion of short-term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-serviceman invalidated out of service;

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded on account of gunshot, wounds, etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services ( Special provision of appointment of Women) Rules, 1997;

(f) The upper age limit shall be relaxable up tp 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/ Boards.

(g) The General upper age limit shall be 35 years in respect of widow, destitute, and divorced women candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 2 years for those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 5 (five) years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage Incentive scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department.

(j) The General upper age limit shall also be relaxable up to 5(five) years in respect of "Vikrama Awards" holder candidates.

(k) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(2) **Educational Qualifications**:- He must possess such educational qualifications as prescribed for the service in Schedule III(A) and Schedule III (B)-

**Provided that**-(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination/consideration of the candidate for selection; and.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by

Government may also be considered for selection/admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(3) **Fees**: He must pay the fees prescribed by the commission.

9. **Disqualification**:- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for admission/selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final**:- The decisions of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be interviewed.

11. **Direct recruitment by Competitive Examination:-(1)** A competitive Examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the commission from time to time, determine.

**(2)**The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government from time to time issue in consultation with the commission.

**(3). Direct Recruitment by Selection:- (a)** Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission, from time to time determine.

(b) Selection of Candidates for the service shall be made by the commission (by written test and / or interview) after interviewing then

(c) Posts shall be reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of Chhattisgarh Lok Seva( Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No 21 of 1994) and the orders issued by the Government from time to time.

(d) In filling the vacancies so reserved the candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in

which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(e) Candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Other Backwards classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under clause (c) of sub-rule-3

(f) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services ( Special provision for appointment of Women) Rules, 1997

(g) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department.

(h) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission if it is found that the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates .

**12. List of Candidates Recommended by the Commission:-(1)** The Commission shall forward to the Government the list arranged in order of merit and of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared and by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regards to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

**(2)** Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services

(General conditions of Service) Rules,1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appears in the selection list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Commission.

13. **Probation**:- Every persons directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion:- (1)** State Government shall constitute a committee consisting of the members mentioned in Schedule III for making a selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no member other than the chairman of the committee representing Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes then one officer of equivalent cadre from category class will be included in addition to the above-mentioned committee and the number of members of such promotion committee will be increased to that extent.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3)There shall be reservation in promotion in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

(4)Roster shall be applicable in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

15. **Conditions of Eligibility for promotion:- (1)** Subject to the provision of sub-rule(2), the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service in the posts or any other post/posts declared equivalent thereto by the Government as mentioned in column (4) of the Schedule IV and are within the Zones of consideration in accordance with the provision of Sub Rule(2)

**Explanation: Method of Computation for Eligibility for Promotion-** The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/ Scrutiny Committee is called for meeting, is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/ post of service / post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The field of selection for promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003

16. **Preparation of List of Suitable Officers:-** The committee, shall prepare a list in accordance with provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules-2003, of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule-15 and are held by the committee to be found suitable for promotion to the Service.

17. **Consultation with the Commission:-** Committee shall prepare a list in accordance with the commission provided that recommendations of Departmental Promotion Committee presided over by the chairman or a member of the commission shall be deemed to be a compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

18. **Select List:-** (1) The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of the members of the service as mentioned in column (4) of Schedule IV from column (2) of the said schedule.

(2) The Select list for promotion shall be valid up to 31st December of the calendar year in which it is prepared.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the Service from the Select List**:- (1) Appointments of the officers included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) Probation Period: -Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation**: - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation**: - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equivalent:

Provided the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Saving**: - Nothing in these rules effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving**: - Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1990 (vide notification No.F1-163-89-XLII-1 dated 13 February 1991) in relating to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution enforced immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश त्रिपाठी**, उप-सचिव.

## Schedule-I
**(See Rule 5)**

| Sl. No. | Name of the Post included in service | Total Sanctioned Posts | Classification | Scale of Pay | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Librarian | 19 | Class-II * | 8000-13500 (AICTE) | Engineering College –07 Post Polytechnic College –12 Post |
| 1(A) | Librarian Senior Scale | All post mentioned in Sl.No.1 | Class-II * | 10000-15200 (AICTE) | For the purpose of Placement in Librarian senior scale procedure laid down in Note 1 of Schedule-III will be followed. |
| 1(B) | Librarian Selection Grade | All post mentioned in Sl.No.1 | Class-II * | 12000-18300 (AICTE) | For the purpose of Placement in Librarian selection or Grade procedure laid down in Note 2 of Schedule-III will be followed. |
| 2 | Physical Training Instructor | 06 | Class-II * | 8000-13500 (AICTE) | Engineering College –03 Post Polytechnic College –03 Post |
| 2(A) | Physical Training Instructor-Senior Scale | All post mentioned in serial Number (2) | Class-II * | 10,000-15200 (AICTE) | For the purpose of Placement in Physical Training Instructor - senior Scale procedure laid down in Note-3 of Schedule-III will be followed. |
| 2(B) | Physical Training Instructor-selection Grade | All post mentioned in serial Number (2) | Class-II * | 12000-18300 (AICTE) | For the purpose of Placement in Physical Training Instructor - Selection Grade procedure laid down in Note-4 of Schedule-III will be followed. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Programmer (Teaching cader) | 14 | Class-II * | 8000-13500 (State-Scale) | Engineering College –05 Post<br><br>Polytechnic College –09 Post |
| 4 | Registrar | 05 | Class-II * | 6500-10500 (State-Scale) | Engineering College –03 Post<br>Polytechnic College –02 Post |
| 5 | Account Officer | 03 | Class-II * | 8000-13500 (State-Scale) | Engineering College –03 Post |

* Previously the post of Librarian & Physical Training Instructor was Class III, they are proposed of Class II due to Sanction pay scale of AICTE.

**Schedule-II**
**(See Rule 7)**

| Sl. No. | Name of Department | Name of Service | Number of post* | Percentage of number of post to be filled | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | By Direct Recruitment | By Promotion of Substantive Temporary members of the Service | By Transfer of persons from other Service | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Technical Education | Librarian | 20 | 50* | 50 | 00 | * Previously the post of librarian was class III. For this post 50% were proposed through direct recruitment and 50% through promotion. Dying cadre are proposed for Assistant Librarian. All the post of Assistant Librarian will be filled by Direct recruitment after their promotion/ Retirement/- - |
| 2 | | Physical Training Instructor | 06 | 100 | 00 | 00 | |
| 3 | | Programmer | 14 | 100 | 00 | 00 | |
| 4 | | Registrar | 05 | 00 | 100 | 00 | By Promotion from Senior Head Clerk/Junior Account officer |
| 5 | | Account Officer | 03 | 00 | 00 | 100 | Deputation from Treasury and account department |

## Schedule-III
## (See Rule 8)

| Name of Department | Name of Post | Minimum Age Limit | Maximum Age Limit | Educational qualification & Experience | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Technical Education | (1) Librarian | 21 Years | 35 Years | 1. Qualifying in the National Level Test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.<br>2. Master's degree in Library Science/Information Science/ Documentation or an equivalent professional degree with at least 55% of the marks or its equivalent C.G.P.A. and consistently good academic records, computerization of Library | |
| | (2) Physical Training Instructor | 21 Years | 35 Years | 1. Mater's Degree in Physical Education (Two year course) or Master's degree in sports or an equivalent Degree with at least 55% of marks or its equivalent C.G.P.A. and Consistently good academic records.<br>2. Record of having represented the university/college at the inter-university/inter-collegiate competitions or the state in National Championships.<br>3.Passed the Physical fitness test.<br>4.Qualifying in the National test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. | |
| | (3) Programmer | 21Years | 35 Years | First Class Graduate in Computer Science & Engineering or First Class Post Graduation in Computer Applications. | |

**Carreer Advancement**:-All placement of Librarian and Physical Training Instructor in career advancement will be on 'in-situ' basis and that will be over and above the sanctioned strength of a particular cadre.

**Note:1**-A Librarian will be eligible for placement in senior scale, if he has :-

1 completed 6 years of service on 1st January after regular appointment with relaxation as prescribed by AICTE.

2 Attended refresher course/Winter/Summer Schools / Short-Term Courses/ Continuing Education programmes of not less than 4 weeks duration,

3 Consistently good records for the last 3 years.

**Note:2**-A Librarian working in senior scale will be eligible for placement in selection grade, if he has :-

1 completed 5 years of service in the senior scale,

2 obtained a Ph.D. Degree or has an equivalent published work,

3 Attended refresher course/Winter/Summer Schools / Short-Term Courses/ Continuing Education programmes of not less than 4 weeks duration, after placement in senior scale.

4 Consistently good records for the last 5 years.

**Note:3**-A Instructor of physical education will be eligible for placement in senior scale, if he has :-

1 completed 6 years of service on 1st January after regular appointment with relaxation as prescribed by AICTE.

2 Attended refresher course/Winter/Summer Schools / Short-Term Courses/ Continuing Education programmes of not less than 4 weeks duration.

3 Consistently good records for the last 3 years.

**Note:4**-A Instructor of physical Education working in senior scale will be eligible for placement in selection grade, if he has :-

1 completed 5 years of service in senior scale,

2 obtained a Ph.D. degree or has an equivalent published work,

3 Attended refresher course/Winter/Summer Schools / Short-Term Courses/Continuing Education programmes of not less than 4 weeks duration, after placement in senior scale.

4 Consistently good records for the last 5 years.

**Note:5**-For the placement in Librarian /Physical Training Instructor Senior Scale/Selection grade from Librarian /Physical Training Instructor, the post held will be upgraded by a selection committee whose member will be

| | |
|---|---|
| 1. Secretary, Technical Education | Chairman |
| 2. Director, Technical Education | Member |
| 3. Two principal of Government Engineering College | Member |
| 4. Representative of SC/ST | Member |

## Schedule-IV

## (See Rule 14-15)

| Department | Name of Service or Post from which promotion will be made | Period of eligibility | Name of Service or Post to which promotion will be made | Name of Member of committee for departmental promotion |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Technical Education | 1.Head Clerk/Junior Account Officer | 5 Year | Registrar | 1.Chairman of Public service Commission or his Nominee – Chairman<br>2.Additional Chief Secretary / Chief Secretary/ Secretary-Member<br>3. Director of Technical Education-Member |
| | 2.Assitant Librarian | 15 Year | Librarian | 1.Chairman of Public service Commission or his Nominee – Chairman<br>2.Additional Chief Secretary / Chief Secretary/ Secrctary-Member<br>3. Director of Technical Education-Member |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.